

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद महाराजगंज की ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु 16.12.2022 को जिलाधिकारी महाराजगंज /अध्यक्ष DWSM की अध्यक्षता में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद महाराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु फेज-2 में चयनित फर्म में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) ६वां तल, कलपतरु सेनर्जी ग्राण्ड हांयात होटल के सामने, सान्ताक्रूज (ईस्ट), मुम्बई द्वारा प्रस्तुत ३ नग डी०पी०आर व फेज-3 में चयनित फर्म में० रिथविक कोया (जे.वी.) प्लाट नं०- ३७.३९ नवोदया कालोनी, रोड नं०-२, बंजारा हिल हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत १ नग डी०पी०आर के तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु अनुमोदन का प्रस्तावः-

जनपद महाराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के निर्माण एवं संचालन/अनुरक्षण (१० वर्षी) हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा फेज-2 हेतु फर्म में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) ६वां तल, कलपतरु सेनर्जी ग्राण्ड हांयात होटल के सामने, सान्ताक्रूज (ईस्ट), मुम्बई को ४४६ राजस्व ग्राम एवं फेज-3 हेतु फर्म में० रिथविक कोया (जे.वी.) प्लाट नं० ३७-३९ नवोदया कालोनी, रोड नं०-२, बंजारा हिल हैदराबाद, तेलंगाना को ६५२ राजस्व ग्राम आवासित किये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदनोपरान्त फेज-2 हेतु फर्म में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) को कुल ४४६ राजस्व ग्रामों की सूची एवं फेज-3 हेतु फर्म में० रिथविक कोया (जे.वी.) को कुल ६५१ राजस्व ग्रामों की सूची उपलब्ध कराते हुए तत्काल डी०पी०आर० तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में जल जीवन मिशन फेज-2 अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा वर्तमान तक अनुमोदित कराये गये ४३४ राजस्व ग्रामों के ३३१ नग डी०पी०आर० एवं फेज-3 अन्तर्गत ४४२ राजस्व ग्रामों के २५३ नग डी०पी०आर० राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किये जा चुके हैं।

वर्तमान में फेज-2 अन्तर्गत में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) द्वारा ३ नग डी०पी०आर० प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें ३ ग्राम पंचायतों के ३ राजस्व ग्रामों की कुल २५ बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुए कुल ३६०४ घरों को FHTC प्रदान किया जाना है। एवं फेज-3 अन्तर्गत फर्म में० रिथविक कोया (जे.वी.) द्वारा १ नग डी०पी०आर० प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें २ ग्राम पंचायतों के २ राजस्व ग्रामों की कुल ६ बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुए कुल ९६७ घरों को FHTC प्रदान किया जाना है।

बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) / सदस्य सचिव जिला पेयजल स्वच्छता मिशन समिति द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये २ नग डी०पी०आर० विद्युत आधारित एवं १ नग डी०पी०आर० सोलर आधारित हैं। फेज-3 अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये १ नग डी०पी०आर० सोलर आधारित हैं।

इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ३४४/W-17/2020-21 दिनांक ०४ जून, २०२१ (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार विद्युत से संचालित नलकूप के प्रकरण में १६ घंटे Pumping Hours मानते हुये डी०पी०आर० का विरचन किया गया है व वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि हेतु यथा संशोधित निर्देशों के क्रम में अनुमन्य सीमा ८० प्रतिशत के स्थान पर ६० प्रतिशत की सीमा के अनुसार डी०पी०आर० का विरचन किया गया है। उक्त समस्त डी०पी०आर० में कार्यालय ज्ञाप संख्या १४९९/E-46/2021 दिनांक १२ फरवरी, २०२१ (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार DI/ HDPE Pipe का प्राविधान किया गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त डी०पी०आर० में लगायी गयी दरें जल निगम की अन्तिम SOR(2019-20) की दरों से लगभग १०-२० % तक अधिक है। दिनांक १२.०४.२०२२ को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सम्बन्धित ग्राम पंचायत (ग्राम प्रधान/सचिव) से इस विषय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है कि इण्डेक्स प्लान के अनुसार ग्राम में कोई भी क्षेत्र पेयजल की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा, अर्थात् शतप्रतिशत बस्तियों को पाइप पेयजल से संतुष्ट करने हेतु सम्मिलित कर लिया गया है।

निर्णयः— अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, महाराजगंज द्वारा फेज-2 अन्तर्गत ३ ग्राम पंचायतों के ३ राजस्व ग्रामों की कुल २५ बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु प्रस्तुत किये गये ३ नग डी०पी०आर० एवं फेज-3 अन्तर्गत २ ग्राम पंचायतों के २ राजस्व ग्रामों की कुल ६ बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु १ नग डी०पी०आर० की तकनीकी एवं

वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से करने हेतु अनुमोदन पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं शतप्रतिशत ३००पी०आर० शीघ्र प्रस्तुत कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही कवर एग्रीमेन्ट हो चुके समस्त पाइप पेयजल योजनाओं में कार्य प्रारम्भ करते हुये कार्यों की प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये एवं स्वीकृत हो चुकी समस्त पाइप पेयजल योजनाओं के त्रृपक्षीय अनुबन्ध तत्काल कराते हुये कवर एग्रीमेन्ट की कार्यवाही हेतु व शतप्रतिशत भूमि के चिन्हांकन/सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं प्रोजेक्ट मैनेजर फर्म मेसर्स जे०एम०सी० व मै० रिथविक कोया (जे.वी.) दिये गये जिससे कार्य के दौरान अनावश्यक विलम्ब ना हों।

अधिशासी अभियन्ता/ सदस्य सचिव
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
महाराजगंज

जिला विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी जिला कृषि अधिकारी
महाराजगंज गहराजगंज महाराजगंज

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
महाराजगंज

अधिशासी अभियन्ता (सिचाई)
स्वैच्छक-प्रणयन, महाराजगंज

परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
महाराजगंज

मुख्य विकित्साधिकारी
महाराजगंज

प्रमाणीय वनाधिकारी
महाराजगंज

मुख्य विकास अधिकारी/ उपायक DWSM
महाराजगंज

जिलाधिकारी/ उपायक DWSM
महाराजगंज